सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रेम कुमार बनाम सोहनलाल

16.07.2019

अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01–02–2013 को प्रार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि वे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को की गई भूमि अगर किसी अन्य को आवंटित नहीं की गई हो तो अपीलांट से नियमानुसार 35 प्रतिशत राशि जमा करवाकर रकबा आवंटन किया जावे। उक्त आदेश की पालना करवाने हेतु प्रार्थी बारम्बार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहा, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं की गई तथा न्यायालय के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की पालना हेतु पाबन्द किया जावे तथा तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पूर्व में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 96/12 दिनांक 01–02–2013 को निर्णित करते हुए प्रार्थी की अपील को रिमाण्ड किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया था कि वादग्रस्त भूमि किसी अन्य को आवंटित नहीं की गई हो तो नियमानुसार 35 प्रतिशत राशि जमा करवाकर रकबा आवंटन किया जावे। उक्त आदेश की पालना में अपीलांट/प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवंटन बहाली हेतु उपस्थित होने के बावजूद भी तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि उच्चतर न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों की निर्धारित समयावधि में पालना सुनिश्चित करें। ऐसीस्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से अभ्यावेदन प्राप्त करते हुए उक्त अभ्यावेदन पर एक माह की अवधि में पूर्व में प्रसारित आदेश के अनुसरण में विधि सम्मत कार्यवाही सम्पादित करें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।